क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र ... दिनांक ..|..|2019	
	पत्रावली दिनांक 14/10/2019 को पेश हो।	
10/9	पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। प्रकरण में बहस पक्षकारान उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। विवादित आराजीयात बाबत प्रस्तुत दावों में माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी निर्णयों का अवलोकन किया गया। विवादित आराजीयात से सम्बंधित वादपत्र "रामगोपाल उर्फ गोपाल बनाम केसरी देवी वगैरा" (दावा) मु० नं० 163/1995 दिनांकित निर्णय 11/04/95 की अपील माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक उनवानी "गीता देवी v/s केसरी देवी" मु० नं० 07/1996 हुई, जिसमें माननीय अपील न्यायालय ने दिनांक 23/12/1996 को निर्णय पारित किया गया। अन्य उनवानी वाद "गीता देवी v/s केसरी देवी" मु० नं० 148/2006 में पारित निर्णय दिनांक 16/06/2010 की अपील में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 25/11/2016 का हवाला देते हुए नजरसानी प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया है। उनवानी प्रकरण "गीता देवी बनाम केसरी देवी" अपील नं० 3146/2011 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने निर्णय दिनांक 25/11/2016 द्वारा उक्त प्रकरणों में विवादित आराजी के संबंधित विचाराधीन दावों को consolidate करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु आदेशित किया है।	
	हस्तगत प्रकरण में	

उपखण्ड अधिकारी
14.10

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 28/04/2017 की अपील में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने दिनांक 12/04/2018 द्वारा हस्तगत प्रकरण का एक माह में निस्तारण हेतु निर्देशित किया है। चूंकि विवादित पक्षकारान के हक - अधिकारों का निर्धारण मूल वादपत्र में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए गुणावगुण पर होना है। अतः विचाराधीन दावों के तादौराने फैसला उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि आप विवादित आराजी ख० नं० 1079, 1080, 1081, 1083, 1085 तन ग्राम बस्सी के मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति (as on today) बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 14.10.19 उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner